भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *93

बुधवार, 28 जुलाई, 2021 / 06 श्रावण, 1943 (शक)

उद्योगों में दुर्घटनाओं के कारण श्रमिकों की मौत

*93 **श्री राम विचार नेताम:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018 से आज की तारीख तक विभिन्न उद्योगों में हुई दुर्घटनाओं में कुल कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई, तत्संबंधी वर्ष-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि में मरने वाले श्रमिकों के कितने परिवार को मुआवजा, आर्थिक सहायता, पेंशन तथा अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति प्रदान की गई है तथा इस प्रकार के कितने मामले अभी भी लंबित हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उद्योगों में सुरक्षा में लापरवाही, जिसकी वजह से श्रमिकों की मौत हुई, के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): **एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

* ****

उद्योगों में दुर्घटनाओं के कारण श्रमिकों की मृत्यु के संबंध में श्री राम विचार नेताम द्वारा पूछे गए दिनांक 28.07.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 93 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत पंजीकृत कारखानों में वर्ष 2018-2020 तक दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ख) सरकार ने औद्योगिक दुर्घटना के कारण मरने वाले मृतक श्रमिकों के आश्रितजनों को क्षतिपूर्ति और पेंशन का लाभ प्रदान करने के लिए कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 जैसे विभिन्न अधिनियमों का अधिनियमन किया है। क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत कवर किए गए श्रमिकों के आश्रितजन उक्त अधिनियम के अंतर्गत पेंशन पाते हैं तथा जो श्रमिक क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत कवर नहीं किए गए हैं, उनके आश्रितजन कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, क्षतिपूर्ति, वित्तीय सहायता, पेंशन और कारखानों में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान किए जाने वाले मृत श्रमिकों के परिवारों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मृत श्रमिकों के परिवारों की कुल सं.	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति/क.रा.बी. अधिनियम के अंतर्गत पेंशन			वित्तीय सहायता	अनुकंपा आधार पर नियुक्ति
		क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने वाले परिवारों की संख्या	पेंशन प्रदान किए जाने वाले परिवारों की संख्या	परिवारों की संख्या जिन्हें अभी तक क्षतिपूर्ति/पेंशन प्राप्त करनी है		
2018	91	26	38	27	81	16
2019	87	17	33	37	83	05
2020	87	17	16	54	82	04
कुल	**265**	**60**	**87**	**118**	**246**	**25**

(ग) समुचित सरकार अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कारखानों में सुरक्षा में चूकों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किया है जिनके कारण श्रमिकों की मृत्यु का कारण बनने वाली दुर्घटनाएं हुई थीं। वर्ष 2018 से 2020 तक आरंभ किए गए अभियोजनों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	मृत्यु की संख्या	अभियोजनों की संख्या
2018	91	72
2019	87	75
2020	87	82
कुल	**265**	**229**

कुल 229 दुर्घटनाएं घटित हुईं जिनमें 265 श्रमिक मारे गए। इन सभी 229 दुर्घटनाओं में श्रम न्यायालयों में आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं।

*****

अनुबंध

छत्तीसगढ़ में वर्ष 2018-2020 तक उद्योगों में दुर्घटनाओं के कारण श्रमिकों की मृत्यु के संबंध में दिनांक 28.07.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 93 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र. सं.	जिले का नाम	वर्ष		
		2018	**2019**	**2020**
1.	रायपुर	28	41	33
2.	बलोदाबाज़ार	2	5	4
3.	गरियाबंद	1	0	0
4.	धमतरी	1	0	0
5.	महासमुन्द	1	3	1
6.	बिलासपुर	1	4	3
7.	मुंगेली	0	0	1
8.	कोरबा	4	2	3
9.	जांजगिर-चम्पा	7	2	7
10.	रायगढ़	11	14	17
11.	गौरेला-पेन्ड्रा-मारवाही	0	0	0
12.	बस्तर	0	0	0
13.	कोंडागांव	0	0	0
14.	केन्कर	0	0	0
15.	दांतेवाड़ा	0	0	0
16.	सुकमा	3	0	0
17.	नारायणपुर	0	0	0
18.	बीजापुर	0	0	0
19.	सुरगुजा	0	0	0
20.	सूरजपुर	0	0	1
21.	बलरामपुर	0	0	0
22.	कोरिया	0	0	0
23.	जेशपुर	0	0	0
24.	दुर्ग	22	13	11
25.	राजनन्दगांव	3	2	2
26.	बलोड	1	0	1
27.	बेमेत्रा	0	0	2
28.	कवर्धा	6	1	1
कुल		**91**	**87**	**87**

टिप्पणी: कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीफासली), श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य (डीआईएसएच), छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ पत्राचार के माध्यम से एकत्रित डेटा।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 247

बुधवार, 11 अगस्त, 2021/20 श्रावण, 1943 (शक)

फिल्म और टेलीविजन उद्योग के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान

***247. श्रीमती रूपा गांगुली:**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिल्म और टेलीविजन उद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के लिए पेंशन और भविष्य निधि सहित सामाजिक सुरक्षा संबंधी कोई प्रावधान मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने फिल्म उद्योग में छोटे कलाकारों की आजीविका को सुरक्षित करने के लिए क्या कार्रवाई की है?

उत्तर
श्रम और रोजगार मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

"फिल्म और टेलीविजन उद्योग के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान" के संबंध में माननीय संसद सदस्या, श्रीमती रूपा गांगुली द्वारा पूछे गए दिनांक 11.08.2021 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 247 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (अधिनियम) के अंतर्गत बनाई गई तीन योजनाओं नामत: कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों का उपबंध किया गया है। यह अधिनियम फिल्म उद्योग से संबंधित प्रतिष्ठानों अर्थात् (i) प्रिव्यू थियेटर सहित सिनेमा; (ii) फिल्म स्टूडियो; (iii) फिल्म प्रोडक्शन संबंधी कार्य; (iv) एक्सपोज्ड फिल्मों से जुड़े वितरण संबंधी कार्य; और (v) फिल्म प्रासेसिंग लेबोरेटरियों पर 31.07.1961 से लागू था। इसके अतिरिक्त, 02.12.2007 से अधिनियम के उपबंधों को दूरदर्शन उद्योग जिसे "निजी क्षेत्र के इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनीज" के तहत शामिल किया गया है, पर भी लागू होते थे। ईपीएफ योजना, 1952 में पैराग्राफ 81 को एक विशेष उपबंध के रूप में अंत:स्थापित किया गया जो सिने-कामगार एवं सिनेमा थियेटर कामगार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत सिने कामगारों के लिए बनायी गयी योजनाओं के सामाजिक सुरक्षा लाभों को प्रशासित करता है।

(ग): व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) (संहिता) को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया है, जिससे दायरे और कवरेज का विस्तार हुआ है। संहिता में "श्रव्य-दृश्य कामगार" के नाम से एक नई परिभाषा जोड़ी गई है, जिसका आशय ऐसे कामगार से है जो सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से "श्रव्य-दृश्य उत्पादन" के कार्य में अथवा उससे संबंधित कार्य से कलाकार, संगीतकार, गायक, उद्घोषक, समाचार वाचक, नर्तक, डबिंग करने वाला कलाकार अथवा स्टंट पर्सन अथवा कुशल, अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षीय, तकनीकी, कलाकारी अथवा अन्यथा जुड़ा हो और ऐसे रोजगार के संबंध में उसका पारिश्रमिक श्रव्य-दृश्य उत्पादन संबंधी कार्य, जहां पारिश्रमिक मासिक मजदूरी के रूप में अथवा एकमुश्त मजदूरी के रूप में मिलता हो, प्रत्येक मामले में ऐसी राशि जिसे केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हो, से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 66 में, श्रव्य-दृश्य कामगार जो "श्रव्य-दृश्य उत्पादन" के कार्य में अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम के उत्पादन जिसमें (i) कार्य की प्रकृति; (ii) मजदूरी और अन्य लाभ (भविष्य निधि सहित, यदि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आते हैं); (iii) स्वास्थ्य और कार्य दशाएं; (iv) सुरक्षा; (v) कार्य घंटे; (vi) कल्याणकारी सुविधाएं; शामिल होंगी, उससे बिना किसी करार के उनके नियोजन को प्रतिषिद्ध किया गया है।

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1008

बुधवार, 28 जुलाई, 2021 / 06 श्रावण, 1943 (शक)

कोविड के कारण मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितजनों को पेंशन

1008 **श्री वि.विजयसाई रेड्डी**:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने कोविड के कारण मरनेवाले व्यक्तियों के आश्रितजनों को पेंशन प्रदान कराने का निर्णय लिया है;

(ख) आश्रितजनों को पेंशन देने की मौजूदा योजना प्रस्तावित योजना से किस प्रकार भिन्न/ लाभदायक है;

(ग) क्या यह सच है कि पेंशन केवल दो वर्ष के लिए दी जाएगी;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उन कामगारों के आश्रितजनों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा, जो कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) ने कोविड-19 के कारण मरने वाले बीमित व्यक्ति (आई.पी.) के आश्रितजनों को दिनांक 24.03.2020 से 2 वर्ष की अवधि के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए "ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना" आरम्भ की है। इस योजना के तहत मरने वाले बीमित व्यक्ति के औसत वेतन का 90% बीमित व्यक्ति के पात्र आश्रितजनों के बीच वितरित किया जाता है। पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैः-

(क) बीमित व्यक्ति जिसकी कोविड-19 बीमारी के कारण मृत्यु हुई है, को कोविड-19 बीमारी की पुष्टि होने की तारीख से कम से कम तीन महीने पहले ईएसआईसी ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है।

(ख) बीमिक व्यक्ति का कोविड-19 बीमारी की पुष्टि होने की तारीख को रोजगार में होना अनिवार्य है और कोविड-19 की पुष्टि होने से ठीक पहले अधिकतम एक वर्ष की अवधि के दौरान उसके द्वारा कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान किया गया हो या किया जाना हो।

ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 46 के तहत मौजूदा उपबंधों की तुलना में "ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना" के उपबंध लाभप्रद हैं, जो निम्नानुसार हैः

जारी/2 ---

(i) बीमित महिला (आईडब्ल्यु) की मृत्यु के मामले में बीमित महिला के विधुर के लिए लाभ उपलब्ध है जो अधिनियम के मौजूदा उपबंधों में नहीं हैं।

(ii) मौजूदा आश्रितजन लाभ में बीमित व्यक्ति की विधवा द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभों को उसके द्वारा पुनर्विवाह करने पर बंद कर दिया जाता है। ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना में ऐसी कोई शर्त नहीं है।

2. इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों के आश्रितजन भी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने के लिए पात्र हैं जो एक स्व वित्त पोषित योजना है जिसमें नियोक्ता और केंद्र सरकार द्वारा वेतन के क्रमश: 8.33% और 1.16% की दर से अंशदान किया जाता है।

(ख) और (घ): जी नहीं। यह योजना 2 वर्ष की अवधि के लिए है जो दिनांक 24.03.2020 से प्रभावी है परंतु आश्रितों के लिए सभी लाभ मौजूदा पात्रता उपबंधों के अनुसार जीवनभर उपलब्ध हैं जो इस प्रकार हैं (i) मरने वाले बीमित व्यक्ति/ बीमित महिला के पति या पत्नी और विधवा माता को जीवन भर; (ii) मरने वाले बीमित व्यक्ति/ बीमित महिला के बेटे को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, या यदि वह अशक्त है तो उसकी अशक्तता दूर होने तक; और (iii) मरने वाले बीमित व्यक्ति/ बीमित महिला की बेटी को उसका विवाह होने तक या यदि वह अशक्त है तो उसकी अशक्तता दूर होने तक लाभ प्राप्त होते रहते हैं।

(ङ) से (च): ईएसआईसी कोविड-19 राहत योजना केवल उन बीमित व्यक्तियों के लिए है जो ईएसआई अधिनियम, 1948 की धारा 2(9) के तहत कर्मचारी हैं।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1043

बुधवार, 28 जुलाई, 2021/06 श्रावण, 1943 (शक)

अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की आय में कमी

1043 डॉ. नरेंद्र जाधव:
क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों की आय अथवा मजदूरी दरों में न केवल लॉकडाउन के दौरान बल्कि इसके बाद के महीनों में भी गिरावट आई है;
(ख) क्या सरकार ने ऐसी गिरावट की धनराशि के आकलन के संबंध में कोई अध्ययन आरंभ किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) सरकार ऐसे कमजोर परिवारों की सहायता करने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है;
(ङ) क्या सरकार ने परिवारों की आय पर दूसरी लहर के प्रभाव के संबंध में कोई आंकड़ा संग्रहित किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): देश के 20 राज्यों में फैले 600 नमूना गांवों के निश्चित समुच्चय में से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र प्रचालन प्रभाग (एफओडी) द्वारा एकत्रित आंकड़ों के आधार पर श्रम ब्यूरो हर महीने सामान्य कृषि तथा गैर-कृषि कामगारों के औसत दैनिक वेतन दर के आँकड़े संकलित तथा अनुरक्षित करता है। मार्च 2020 और मई 2021 के बीच औसत दैनिक वेतन दरों में सकारात्मक वृद्धि रही है।

(ख) से (च): सरकार ने श्रम ब्यूरो को प्रवासी कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा है, जिसमें प्रवासी कामगारों पर कोविड-19 के प्रभाव का आकलन शामिल है तथा कोविड-19 महामारी के कारण उनके वेतन/उनकी आमदनी पर हुए प्रभाव के आँकड़े प्राप्त किए जाएंगे।

सरकार आत्मनिर्भर भारत वित्तीय पैकेज के एक भाग के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का प्रोत्साहन राजस्व उपलब्ध करा रही है, जिसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियाँ शामिल हैं।

****

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

* * *

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1221

(दिनांक 29.07.2021 को उत्तर के लिए)

सरकारी नौकरियों में रिक्त पद

1221. श्री मल्लिकार्जुन खड़गे:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संगठनों आदि में कुल स्वीकृत पद और रिक्तियां कितनी-कितनी हैं;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षित पदों की संख्या कितनी-कितनी हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सरकारी विभागों में वर्ष-वार औसतन कितनी भर्तियां प्रतिवर्ष हुई हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों में संविदात्मक पदों में वर्ष-वार कितनी वृद्धि हुई है; और

(ड.) केन्द्र सरकार के सभी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संगठनों आदि में रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क): दिनांक 01.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के सभी विभागों में कुल स्वीकृत पद और कुल रिक्तियां निम्न प्रकार से हैं:

स्वीकृत कार्यबल	कार्यरत कर्मचारी	रिक्त पद
40,04,941	31,32,698	8,72,243

लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान की सूचना के अनुसार, दिनांक 31.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार 256 कार्यरत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में 9.20 लाख नियमित कर्मचारी थे।

(ख): केन्द्र सरकार के नियोजन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15%, 7.5% और 27% अधिदेशित है। भर्ती एक सतत प्रक्रिया है। तथापि, दिनांक 31.12.2019 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग के संबंध में सूचना **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(ग) और (घ): विगत पांच वर्षों को दौरान, समूह 'क', 'ख' और 'ग' के लिए तीन प्रमुख भर्ती एजेंसियों यथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा वर्ष-वार की गयी भर्तियां **संलग्नक-II** पर दी गई हैं।

(ड.): दिनांक 01.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में मंत्रालय/विभाग-वार स्वीकृत पद और कार्यरत कर्मचारियों को दर्शाने वाला विवरण **संलग्नक-III** पर दिया गया है।

संलग्नक-I

दिनांक 31.12.2019 (01.01.2020) तक की स्थिति के अनुसार बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के संबंध में आंकड़े
बैकलॉग रिक्तियों, भरी गई रिक्तियों और भरी नहीं गई रिक्तियों के संबंध में श्रेणी-वार ब्यौरे

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	अ.जा.			अ.ज.जा.			अ.पि.व.		
		रिक्तियां	भरी गई रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गई रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां	रिक्तियां	भरी गई रिक्तियां	भरी नहीं गई रिक्तियां
1	डाक	1379	393	986	845	158	687	1090	426	664
2	रेलवे	9767	4208	5559	7713	2250	5463	12061	5314	6747
3	आवासन और शहरी कार्य	259	141	118	272	124	148	720	431	289
4	रक्षा उत्पादन	8604	6818	1786	7352	5647	1705	4692	4156	536
5	रक्षा	1649	236	1413	1068	117	951	2732	529	2203
6	परमाणु ऊर्जा	189	52	137	189	40	149	679	108	571
7	वित्तीय सेवाएं	1527	648	879	1363	421	942	2252	1018	1234
8	राजस्व	4971	1483	3488	3214	647	2567	4336	1492	2844
कुल		28345	13979	14366	22016	9404	12612	28562	13474	15088

संलग्नक- II

पिछले पांच वर्षों के दौरान यूपीएससी, एसएससी और आरआरबी द्वारा की गई भर्ती

	यूपीएससी	एसएससी	आरआरबी	कुल
2016-17	5,735	68,880	27,538	1,02,153
2017-18	6,294	45,391	25,507	77,192
2018-19	4,399	16,748	17,680	38,827
2019-20	5,230	14,691	1,28,456	1,48,377
2020-21	3,609	68,891	5,764	78,264
	25,267	**2,14,601**	**2,04,945**	**4,44,813**

संलग्नक-।।।

दिनांक 01.03.2020 तक की स्थिति के अनुसार केंद्र सरकार के नियमित सिविलियन कर्मचारियों की समूह-वार और श्रेणी -वार (राजपत्रित/अराजपत्रित) आंकलित संख्या

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्वीकृत पदों की संख्या					पदस्थ संख्या				
		क(राजपत्रित)	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)	कुल	क(राजपत्रित)	ख(राजपत्रित)	ख(अराजपत्रित)	ग(अराजपत्रित)	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	कृषि अनुसंधान और शिक्षा	19	11	10	14	**54**	16	5	5	6	**32**
2	कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण	620	519	583	4069	**5791**	394	332	370	2523	**3619**
3	पशुपालन और डेयरी और मत्स्य पालन	305	120	100	2930	**3455**	196	73	66	1775	**2110**
4	परमाणु ऊर्जा	11874	573	9523	16110	**38080**	11932	592	8725	11515	**32764**
5	आयुष	69	27	49	39	**184**	67	15	38	40	**160**
6	जैव प्रौद्योगिकी	95	46	42	72	**255**	75	25	24	47	**171**
7	मंत्रिमण्डल सचिवालय	76	56	81	129	**342**	70	57	63	105	**295**
8	रसायन, पेट्रो रसायन और औषध	88	6	99	127	**320**	99	9	87	118	**313**
9	नागर विमानन	797	73	361	875	**2106**	503	51	211	489	**1254**
10	कोयला	69	57	99	209	**434**	52	35	79	119	**285**
11	वाणिज्य	821	867	1119	2552	**5359**	492	439	840	1435	**3206**
12	उपभोक्ता मामले	206	185	284	618	**1293**	165	128	171	314	**778**
13	कॉर्पोरेट कार्य	733	0	885	976	**2594**	598	0	506	414	**1518**
14	संस्कृति	466	230	1437	8161	**10294**	260	127	866	5468	**6721**
15	रक्षा (सिविल)	18107	24283	95067	495682	**633139**	14627	20647	59874	290489	**385637**
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास	66	46	83	141	**336**	50	32	46	97	**225**
17	पेयजल और स्वच्छता	55	32	43	28	**158**	42	18	32	15	**107**
18	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	38	32	56	17	**143**	30	13	39	9	**91**
19	पृथ्वी विज्ञान	766	1654	2247	2841	**7508**	312	1084	1918	1335	**4649**
20	आर्थिक कार्य	335	142	207	719	**1403**	277	130	192	441	**1040**
21	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	714	192	1272	2691	**4869**	545	85	642	1350	**2622**
22	व्यय	289	530	250	528	**1597**	189	452	173	258	**1072**
23	विदेश	2311	2314	2737	3673	**11035**	2117	1646	2153	2915	**8831**

24	उर्वरक	27	62	11	149	**249**	26	57	9	134	**226**
25	वित्तीय सेवाएं	289	139	401	784	**1613**	220	99	291	658	**1268**
26	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण	158	108	257	504	**1027**	118	98	223	318	**757**
27	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	57	59	7	58	**181**	55	27	5	34	**121**
28	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2545	710	1117	18638	**23010**	2311	646	1015	16935	**20907**
29	स्वास्थ्य अनुसंधान	5	1	2	34	**42**	3	1	1	20	**25**
30	भारी उद्योग	57	40	47	103	**247**	42	23	37	64	**166**
31	उच्च शिक्षा	205	218	359	373	**1155**	171	132	301	240	**844**
32	गृह मंत्रालय	22634	4529	54501	1002766	**1084430**	18744	5143	42332	889369	**955588**
33	भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	6508	12724	0	48290	**67522**	5906	10838	0	27541	**44285**
34	उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन	1101	217	383	869	**2570**	934	94	179	457	**1664**
35	सूचना एवं प्रसारण	467	524	718	3626	**5335**	323	320	546	2190	**3379**
36	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	4147	171	379	1852	**6549**	3554	111	307	1141	**5113**
37	निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन	34	16	21	15	**86**	30	9	16	13	**68**
38	श्रम और रोजगार	1196	407	537	4571	**6711**	749	263	476	2580	**4068**
39	भूमि संसाधन	37	0	57	34	**128**	32	0	24	24	**80**
40	विधि और न्याय	608	353	469	1273	**2703**	437	302	290	942	**1971**
41	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	71	98	40	243	**452**	69	96	38	240	**443**
42	खान	4396	1428	3187	5008	**14019**	2785	855	1378	2076	**7094**
43	अल्पसंख्यक मामले	76	66	54	71	**267**	62	37	29	49	**177**
44	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	142	47	50	91	**330**	77	21	42	73	**213**
45	पंचायती राज	38	23	24	42	**127**	29	7	20	18	**74**
46	संसदीय कार्य	23	22	45	60	**150**	20	13	30	54	**117**
47	कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन	1102	1190	2607	6225	**11124**	804	874	1810	5261	**8749**
48	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	70	63	73	126	**332**	59	49	53	61	**222**
49	नीति आयोग	216	336	59	128	**739**	133	180	43	141	**497**
50	डाक	850	450	10299	255892	**267491**	671	404	9343	167023	**177441**
51	विद्युत	620	194	196	429	**1439**	368	128	60	222	**778**

52	राष्ट्रपति सचिवालय	43	44	75	218	**380**	34	39	59	157	**289**
53	प्रधानमंत्री कार्यालय	62	65	118	201	**446**	73	63	114	79	**329**
54	सार्वजनिक उद्यम	30	11	14	52	**107**	25	9	6	32	**72**
55	रेलवे	13662	5318	620	1488094	**1507694**	12593	4520	0	1253286	**1270399**
56	राजस्व	12126	32212	33303	100791	**178432**	8153	26680	17138	50134	**102105**
57	सड़क परिवहन और राजमार्ग	377	77	188	334	**976**	299	61	149	217	**726**
58	ग्रामीण विकास	126	108	128	187	**549**	108	53	89	130	**380**
59	स्कूली शिक्षा और साक्षरता	54	47	81	94	**276**	41	52	50	59	**202**
60	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	643	818	3037	7946	**12444**	300	580	1620	1717	**4217**
61	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान	49	13	19	35	**116**	44	12	8	13	**77**
62	पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग	287	243	610	1502	**2642**	209	159	345	859	**1572**
63	कौशल विकास और उद्यमिता	367	124	811	685	**1987**	258	65	481	419	**1223**
64	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	133	103	170	260	**666**	76	58	118	199	**451**
65	अन्तरिक्ष	9704	161	4032	4805	**18702**	9438	133	3782	2661	**16014**
66	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	547	1823	2646	1136	**6152**	368	1567	1512	772	**4219**
67	इस्पात	59	42	87	114	**302**	71	34	69	101	**275**
68	दूरसंचार	987	235	1328	996	**3546**	1140	192	1082	935	**3349**
69	वस्त्र	319	206	725	3489	**4739**	288	198	730	3437	**4653**
70	पर्यटन	75	102	134	268	**579**	60	95	115	192	**462**
71	जनजातीय मामले	75	48	47	143	**313**	52	30	26	64	**172**
72	संघ लोक सेवा आयोग	220	277	498	833	**1828**	175	187	322	480	**1164**
73	आवासन और शहरी मामले	3420	3038	526	12523	**19507**	3406	3038	526	12523	**19493**
74	उपराष्ट्रपति सचिवालय	6	5	8	43	**62**	5	5	5	36	**51**
75	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा	1209	787	1449	7194	**10639**	895	691	807	3689	**6082**
76	महिला एवं बाल विकास	113	97	136	352	**698**	102	63	130	301	**596**
77	युवा कार्यक्रम और खेल	59	70	85	168	**382**	42	61	63	125	**291**
	कुल	**131350**	**102264**	**243409**	**3527918**	**4004941**	**110095**	**85467**	**165364**	**2771772**	**3132698**

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1842

बुधवार, 04 अगस्त, 2021 / 13 श्रावण, 1943 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनायें

1842. श्री सुभाष चंद्र सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए कौन-कौन सी सामाजिक सुरक्षा योजनायें हैं; और

(ख) इन योजनाओं में नामांकनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 के अनुसार केंद्र सरकार, (i) जीवन और अशक्तता कवर, (ii) स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, (iii) वृद्धावस्था संरक्षण और (iv) केंद्र सरकार द्वारा यथा निर्धारित कोई अन्य लाभ संबंधी मामलों पर उपयुक्त कल्याणकारी योजनाएं बनाकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों/ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिदेशित है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में समाहित किया गया है।

वर्ष 2015 में आरंभ की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के माध्यम से जीवन एवं अशक्तता कवर प्रदान किया जाता है। इन स्कीमों के अंतर्गत किसी कारणवश मृत्यु होने एवं स्थायी अशक्तता होने पर 2 लाख रुपये, दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 4.0 लाख रुपये और आंशिक अशक्तता होने पर 1.0 लाख रूपये का लाभ प्रदान किया जाता है। उनकी पात्रता के आधार पर वार्षिक प्रीमियम 342/- रुपये (पीएमजेजेबीवाई के लिए 330/- रुपये+ पीएमएसबीवाई के लिए 12/- रुपये) है। दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध क पर है।

स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधाएं आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जो वर्ष 2018 में आरंभ की गई एक सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत, द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भरती होने के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवरेज निःशुल्क प्रदान किया जाता है। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) से की गई है। दिनांक 01.08.2021 की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध ख पर है।

जारी..2/-

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन के रूप में वृद्धावस्था संरक्षण एक प्रमुख योजना द्वारा प्रदान की जाती है, जिसका नाम प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना (पीएम-एसवाईएम) है। इसे मार्च, 2019 में आरंभ किया गया था ताकि 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात 3,000/- रुपये की मासिक न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान की जा सके। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। ऐसे कामगार, जो 18-40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं और जिनकी मासिक आय 15000/- रुपये अथवा उससे कम है और ईपीएफओ/ ईएसआईसी/ एनपीएस (सरकार द्वारा वित्त पोषित) के सदस्य नहीं हैं, इस स्कीम से जुड़ सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा 50% मासिक अंशदान देय होता है और केन्द्र सरकार द्वारा उतनी ही राशि के अंशदान का भुगतान किया जाता है। दिनांक 27.07.2021 की स्थिति के अनुसार इस स्कीम के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध ग पर है।

इन स्कीमों के अलावा, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, गरीब कल्याण रोजगार योजना, महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना, दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, पीएमएसवीए निधि, प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना, भी असंगठित कामगारों के लिए उनकी पात्रता मानदंड के आधार पर उपलब्ध हैं।

***

*****

अनुबंध क

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं" के संबंध में दिनांक 04.08.2021 के लिए नियतश्री सुभाष चंद्र सिंह द्वारा पूछा गया राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 30.06.2021 की स्थिति के अनुसार संचयी नामांकन	
		पीएमजेजेबीवाई	पीएमएसबीवाई
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	24,818	61,556
2	आंध्र प्रदेश $$	22,69,2227	3,49,88,417
3	अरुणाचल प्रदेश	66,326	1,27,712
4	असम	15,25,056	48,07,795
5	बिहार	36,76,144	1,20,67,992
6	चंडीगढ़	67,738	2,32,459
7	छत्तीसगढ	21,03,320	71,85,954
8	दादरा और नागर हवेली	41,557	77,654
9	दमन और दीव	33,424	55,056
10	गोवा	1,49,910	3,48,454
11	गुजरात	37,19,328	91,62,480
12	हरियाणा	16,85,553	47,86,557
13	हिमाचल प्रदेश	3,91,360	14,22,922
14	जम्मू और कश्मीर	3,74,824	9,17,270
15	झारखंड	15,79,613	48,49,294
16	कर्नाटक	44,22,362	99,36,309
17	केरल	10,39,026	53,48,750
18	लद्दाख	7,709	15,933
19	लक्षद्वीप	2,051	7,121

20	मध्य प्रदेश	42,31,779	14,13,0709
21	महाराष्ट्र	64,09,767	1,56,26,600
22	मणिपुर	59,822	1,86,318
23	मेघालय	1,07,199	2,73,322
24	मिजोरम	1,07,372	1,85,760
25	नागालैंड	62,291	1,88,302
26	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	12,06,328	33,73,267
27	उड़ीसा	26,88,617	79,76,191
28	पुदुचेरी	86,757	2,28,555
29	पंजाब	17,27,959	55,74,135
30	राजस्थान	36,70,978	1,11,70,696
31	सिक्किम	49,560	1,07,310
32	तमिलनाडु	38,22,257	1,07,82,574
33	तेलंगाना	34,57,996	87,66,446
34	त्रिपुरा	2,21,154	7,48,285
35	उत्तर प्रदेश	75,82,994	2,93,00,208
36	उत्तराखंड	5,18,621	23,41,941
37	पश्चिम बंगाल	37,72,493	1,33,11,110
38	अन्य और गैर-सीबीएस नामांकन *	2,19,56,132	1,60,16,806
कुल योग		10,53,42,422	23,66,88,220

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं" के संबंध में दिनांक 04.08.2021 के लिए नियतश्री सुभाष चंद्र सिंह द्वारा पूछा गया राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र.सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	पात्र लाभार्थी परिवार[5]	सृजित आयुष्मान कार्ड
1	अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह	21,399	34,513
2	आंध्र प्रदेश[2]	1,44,79,557	21
3	अरुणाचल प्रदेश	2,60,217	22,918
4	असम[1]	26,96,996	1,24,24,654
5	बिहार	1,08,11,015	68,86,549
6	चंडीगढ़	23,678	63,709
7	छत्तीसगढ	55,70,919	1,32,95,311
8	दादरा और नागर हवेली	61,950	4,16,007
9	गोवा	36,431	21,867
10	गुजरात	75,88,537	77,01,106
11	हरियाणा	15,45,936	26,21,393
12	हिमाचल प्रदेश	4,78,985	10,76,112
13	जम्मू और कश्मीर	20,54,298	49,07,408
14	लद्दाख	39,542	94,020
15	झारखंड	57,10,933	90,01,202
16	कर्नाटक[1]	1,15,00,000	97,83,024
17	केरल	41,56,111	66,29,736
18	लक्षद्वीप	1,465	1,636
19	मध्य प्रदेश	1,08,61,653	2,48,60,888
20	महाराष्ट्र	83,63,664	71,80,456
21	मणिपुर	2,73,250	3,16,245
22	मेघालय	5,54,131	16,70,930
23	मिजोरम	1,94,859	3,56,701
24	नागालैंड	2,33,328	2,58,152
25	पुदुचेरी	1,03,434	2,76,642
26	पंजाब	39,57,205	70,52,310
27	राजस्थान[2]	1,09,23,867	-
28	सिक्किम	39,738	36,809
29	तमिलनाडु[1]	1,47,00,000	2,47,27,093
30	तेलंगाना[3]	25,90,010	-
31	त्रिपुरा	4,90,964	12,56,360
32	उत्तर प्रदेश	1,25,28,329	1,43,76,830
33	उत्तराखंड	15,69,468	39,79,209
34	गैर-राज्य विशिष्ट[4]	-	6,65,752
कुल		13,44,21,869	16,19,95,563

नोट:-

1. असम, कर्नाटक और तमिलनाडु में लाभार्थी कार्ड राज्यों द्वारा स्वयं के आईटी सिस्टम का उपयोग करके जारी किए जाते हैं।

2. आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य परिवार के आधार पर कार्ड जारी करते हैं।

3. तेलंगाना ने केवल 18 मई 2021 से एबी पीएम-जेएवाई को लागू करना शुरू किया;

4.राज्य स्तर पर विभाजन की सूचना कुछ आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध नहीं है

5. राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जोड़े गए एसईसीसी 2011 लाभार्थी परिवार और अतिरिक्त लाभार्थी परिवार शामिल हैं।

अनुबंध ग

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं" के संबंध में दिनांक 04.08.2021 के लिए नियत श्री सुभाष चंद्र सिंह द्वारा पूछा गया राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	नामांकनों की संख्या
1	अंडमान और नोकोबार द्वीप समूह	2,133
2	आंध्र प्रदेश	1,50,860
3	अरुणाचल प्रदेश	2,474
4	असम	21,566
5	बिहार	1,94,038
6	चंडीगढ़	3,927
7	छत्तीसहगढ़	2,08,463
8	दादरा और नागर हवेली	759
9	दमन और दीव	805
10	दिल्ली	8,096
11	गोवा	977
12	गुजरात	3,68,884
13	हरियाणा	8,10,185
14	हिमाचल प्रदेश	41,755
15	जम्मू और कश्मीर	72,473
16	झारखंड	1,29,324
17	कर्नाटक	99,531
18	केरल	10,539
19	लक्षद्वीप	21
20	मध्य प्रदेश	1,24,813

21	महाराष्ट्र	5,88,527
22	मणिपुर	3,882
23	मेघालय	2,922
24	मिजोरम	612
25	नागालैंड	4,717
26	उड़ीसा	1,65,458
27	पुदुचेरी	1,251
28	पंजाब	33,431
29	राजस्थान	1,02,544
30	सिक्किम	130
31	तमिलनाडु	56,929
32	तेलंगाना	31,733
33	त्रिपुरा	29,220
34	उत्तर प्रदेश	6,20,641
35	उत्तराखंड	34,566
36	पश्चिम बंगाल	74,863
राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में नामांकन		40,03,049
हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और चंडीगढ़ के राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में बल्क नामांकन		5,06,603
कुल योग		45,09,652

****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1853

बुधवार, 04 अगस्त, 2021 / 13 श्रावण, 1943 (शक)

ईएसआईसी की कायिक निधि का ब्यौरा

1853. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ईएसआईसी की कायिक और आरक्षित निधि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकारी प्रतिभूतियों ,ऋण-आधारित लिखतों, सावधि जमा, इत्यादि में निवेश की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या म्यूच्युअल फंड और इक्विटी में निवेश का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त निवेश, वार्षिक उपचय का है या समस्त कायिक निधि का;

(ङ) क्या निवेश की प्रवृत्ति ईएसआईसी बोर्ड के निर्णय के आधार पर अथवा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार की जाएगी; और

(च) श्रम संहिता के म्यूच्यूअल फंड और इक्विटी में निवेश के संबंध में क्या उल्लेख है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 की धारा 26 में किए गए उपबंध के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निधि का रख-रखाव किया जाता है। आरक्षित निधियों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है: -

क्रम संख्या	निधि का नाम	राशि करोड़ रुपये में (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)
1.	निर्धारित आरक्षित निधि (स्थायी विकलांगता लाभ आरक्षित निधि, आश्रित लाभ आरक्षित निधि, कर्मचारी लाभ आरक्षित निधि (पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के लिए), ईएसआईसी भविष्य निधि और मरम्मत और रखरखाव (आर	28,836.45

	एंड एम) सहित अन्य आरक्षित निधि और कार्यालय और अस्पताल / औषधालय भवन के लिए मूल्यह्रास आरक्षित निधि	
2.	गैर-निर्धारित आरक्षित निधि (ईएसआई जनरल आरक्षित निधि, आकस्मिक आरक्षित निधि और कैपिटल कंस्ट्रक्शन आरक्षित निधि)	87,416.87
	कुल	1,16,253.32

(ख) 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, आरक्षित निधि की निवेश स्थिति निम्नानुसार है: -

लिखतें	कुल निवेश (राशि करोड़ में) (31.03.2021 की स्थिति के अनुसार)
सरकारी प्रतिभूतियां(जी-सेक), राज्य विकास ऋण, भारत सरकार द्वारा गारंटीशुदा/सर्विसड बांड्स	72,610.24
ऋण संबंधी लिखतें - सावधि जमा, एएए रेटेड सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) बांड्स	19,667.35
मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स - ट्राई-पार्टी रेपो (ट्रेप्स), ट्रेजरी बिल (टी-बिल्स)	5,793.60
भारत सरकार का विशेष जमा खाता (एसडीए)	18,182.13
कुल निवेश	1,16,253.32

(ग) से (च): ईएसआईसी क.रा.बी.निगम द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार अपनी निधि का निवेश करता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 25(4) में उपबंधित है कि "कर्मचारी राज्य बीमा निधि या निगम के पास रखा अन्य कोई धन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जमा या निवेश किया जाएगा"।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1866
बुधवार, 04 अगस्त, 2021/13 श्रावण, 1943 (शक)

'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना'

1866. श्री प्रशांत नन्दाः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना'द्वारा कितनी नौकरियों का सृजन करने का लक्ष्य है;
(ख) योजना के अंतर्गत कुल कितनी नौकरियां सृजित की गई;
(ग) क्या नौकरियों की संख्या से संबधित लक्ष्य पूरा करने के लिए, यदि यह निर्धारित लक्ष्य से कम है, कोई उपाय किए जा रहे हैं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तोज इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) द्वारा अनुमानतः 71.80 लाख लाभार्थियों को लाभ देने का इरादा है।

(ख): इस योजना के तहत 26.07.2021 को 91,129 प्रतिष्ठानों के माध्यम से 25.57 लाख कर्मचारियों को 1193.18 करोड़ रुपए का लाभ प्रदान किया गया है।

(ग) एवं (घ): नियोक्ता और नियोक्ता संघों तथा कर्मचारियों और संघ के प्रतिनिधियों-दोनों के साथ सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रचार के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की गई है। ईपीएफओ भी सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से इस योजना का प्रचार कर रहा है। इसके अलावा, कवरेज बढ़ाने के लिए, लाभार्थियों का पंजीकरण, जो कि आरंभ में केवल 30.06.2021 तक था, को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

*****

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2654

बुधवार, 11 अगस्त, 2021 / 20 श्रावण, 1943 (शक)

सड़क परिवहन संबंधी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा

2654. श्री बिकास रंजन भट्टाचार्य:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क परिवहन संबंधी कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार ने सड़क परिवहन संबंधी कामगारों की समस्याओं के संबंध में वी.वी.गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान की रिपोर्ट/सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया है;

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 बीस या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले कारखानों और अधिसूचित वर्ग के प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और सामाजिक सुरक्षा लाभ अर्थात भविष्य निधि, पेंशन और बीमा का उपबंध करता है। इसी प्रकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 दस या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों पर लागू होता है और सामाजिक सुरक्षा लाभ, जैसे चिकित्सा लाभ, बीमारी लाभ, प्रसूति लाभ, अशक्तता लाभ, आश्रित लाभ, आदि का उपबंध करता है।

दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (संहिता) में असंगठित कामगारों, गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने की परिकल्पना की गई है, जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संहिता पहली बार स्वैच्छिक आधार पर ईएसआईसी में शामिल होने के लिए दस से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान को सक्षम बनाता है।

(ख): वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने "भारत में सड़क परिवहन प्रणाली में सुधार के विशेष संदर्भ के साथ कामगारों के रहने और काम करने की स्थिति की ओर" विषय पर एक अध्ययन किया था और 2009 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। चार श्रम संहिताएं अर्थात मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 ने सभी कामगारों, चाहे वे संगठित या असंगठित क्षेत्रों में हों, को न्यूनतम मजदूरी सहित विवादों को दूर किया है और योजनाओं के निरूपण के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2657

बुधवार, 11 अगस्त, 2021 / 20 श्रावण, 1943 (शक)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम का निवेश पैटर्न

2657. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के मौजूदा निवेश पैटर्न का ब्यौरा क्या है;
(ख) ईएसआईसी द्वारा अब तक किए गए संग्रह का और उससे अब तक किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने ईएसआईसी को अपनी कार्मिक निधि का 15 प्रतिशत म्यूच्युअल फंड्स और इक्विटीज़ में निवेश करने की अनुमति दी है;
(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) मंत्रालय इक्विटीज़ और म्यूच्युअल फंड्स में निवेश करने को किस प्रकार न्यायसंगत ठहराता है क्योंकि यह ईएसआईसी की सुविधा गिग वर्कर्स को भी दे रहा है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का विद्यमान निवेश पैटर्न इस प्रकार है:-

क्र. सं.	**प्रतिभूति/लिखत**	**विहित अनुक्रम**
1	सरकारी प्रतिभूतियां और संबंधित लिखत (सरकारी बॉण्ड)।	45% से 75%
2.	ऋण लिखत (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का 01 वर्ष से अधिक समय का नियत जमा, जैसा कि नीचे वर्णित है तथा AAA श्रेणीबद्ध सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बॉण्ड	20% से 45%
3	अल्पावधिक ऋण लिखतें और संबंधित लिखतें	5% से 10%

जारी-/2---

(ख): वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान ईएसआईसी द्वारा प्राप्त कुल आय निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	कुल आय (करोड़ रुपये में)
2016-17	16,852.39
2017-18	23,480.37
2018-19	27,312.64
2019-20	22,161.91
2020-21	21,091.13

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

श्रेणी	**लिखतें**	**कुल निवेश (करोड़ रुपये में)**
i.	सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋण, भारत सरकार के गारंटीकृत/सर्विस्ड बॉण्ड	72,610.24
ii.	ऋण संबंधी लेख-पत्र - नियत जमा, AAA श्रेणीकृत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) के बॉण्ड	19,667.35
iii.	मुद्रा बाजार के लेख-पत्र - त्रि-पक्षीय रेपो (टीआरईपीएस), राजकोषीय हुण्डी	5,793.60
iv.	भारत सरकार द्वारा अनुरक्षित विशेष जमा खाता (एसडीए)	18,182.13
	कुल	1,16,253.32

(ग) से (ङ): ईएसआईसी अपनी निधियां क.रा.बी. निगम द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार निवेश करता है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 25(4) में अपेक्षित है कि "कर्मचारी राज्य बीमा निधि या कोई अन्य धन जो निगम द्वारा धारित हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से जमा या निवेश किया जाएगा"।

*****

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2659

बुधवार, 11 अगस्त, 2021 / 20 श्रावण, 1943 (शक)

ईपीएस में अंशदान

2659. श्रीमती अम्बिका सोनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विगत पाँच वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में अपना अंशदान नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आज की तारीख तक लंबित बकाया राशि की मात्रा सहित इसका क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को विगत पाँच वर्षों के दौरान भारत सरकार के 1.16 प्रतिशत सांविधिक अंशदान के लिए जारी निधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये में)
2016-17	3,525.00
2017-18	4,040.18
2018-19	3,900.00
2019-20	3,696.67
2020-21	6,027.61

दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, संचयी बकाया राशि 10,589.20 करोड़ रुपये (अनंतिम) है।

(ग): रुझान को ध्यान में रखते हुए ईपीएस, 1995 के अंतर्गत भारत सरकार के सांविधिक अंशदान के लिए बजट अनुमान 2021-22 में 6364 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

******

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2660

बुधवार, 11 अगस्त, 2021 / 20 श्रावण, 1943 (शक)

ईपीएस में पंजीकृत लोग

2660. श्री प्रताप सिंह बाजवा:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान व आज की तारीख तक कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत राज्य-वार कुल कितने व्यक्ति पंजीकृत हुए है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान व आज की तारीख तक डिजिटल आधार के माध्यम से कुल कितने लोगों ने जीवन प्रमाण पत्र प्रदान किया है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2017-18 से आज की तारीख तक कुल कितने लाभार्थियों को पेंशन मिल रही है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं;

(घ) वर्ष 2017-18 से आज की तारीख तक लाभाथियों को कुल कितनी निधि जारी की गई है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ड.) वर्ष 2017-18 से आज की तारीख तक महिला लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): वर्ष 2017-18 से 2021-22 (जून, 2021 तक) के दौरान कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख): वर्ष 2017-18 से 2021-22 (जून, 2021 तक) के दौरान ईपीएस के अंतर्गत उन व्यक्तियों को, जिन्हें आधार से संबद्ध जीवन प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

(ग): वर्ष 2017-18 से जून, 2021 तक कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण अनुबंध-III में दिया गयाहै।

(घ): वर्ष 2017-18 से जून, 2021 तक ईपीएस के अंतर्गत जारी की गई निधि का राज्य-वार विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है।

(ड.): वर्ष 2017-18 से जून, 2021 तक ईपीएस, 1995 के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की कुल संख्या का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	महिला लाभार्थियों की संख्या (हजार में)
2017-18	2324.22
2018-19	2358.80
2019-20	2465.28
2020-21	2526.59
2021-22 (जून, 2021 तक)	2337.90

****

******

अनुबंध-I

"ईपीएस में पंजीकृत लोग" के संबंध में दिनांक 11.8.2021 को श्री प्रताप सिंह बाजवा, माननीय सांसद द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2660 के भाग (क) के उत्तर में सदंर्भित अनुबंध।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 (जून, 2021 तक) के दौरान ईपीएस के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण (हजार में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अप्रैल-जून, 2021)	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.16	4.10	2.43	2.44	0.30	14.43
2	आंध्र प्रदेश	420.38	366.63	321.70	227.27	56.33	1392.31
3	बिहार	149.21	157.88	172.05	406.17	16.78	902.09
4	चंडीगढ़	199.13	160.89	120.74	92.49	25.46	598.71
5	छत्तीसगढ	186.62	161.16	124.79	97.05	23.00	592.62
6	दिल्ली	1366.03	1010.69	799.08	497.21	117.95	3790.96
7	गोवा	107.69	73.97	59.23	47.19	10.29	298.37
8	गुजरात	1571.22	1219.45	986.34	821.73	235.28	4834.02
9	हरियाणा	1504.51	1049.67	792.16	657.11	166.94	4170.39
10	हिमाचल प्रदेश	155.27	117.41	98.64	90.33	23.57	485.22
11	झारखंड	180.80	149.86	126.36	87.55	24.21	568.78
12	कर्नाटक	2154.27	1623.54	1370.67	936.79	208.70	6293.97
13	केरल	273.94	231.79	190.78	119.25	31.67	847.43
14	मध्य प्रदेश	3947.36	392.14	319.29	238.94	58.90	1508.43
15	महाराष्ट्र	166.05	3073.99	2410.31	1679.80	432.08	11543.54
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र	246.58	131.16	117.16	76.02	16.31	506.70
17	उड़ीसा	298.39	196.44	157.74	131.43	33.33	765.52
18	पंजाब	587.28	231.00	173.96	153.87	46.22	903.44
19	राजस्थान	2351.29	488.97	379.61	315.08	86.99	1857.93
20	तमिलनाडु	989.77	1795.68	1450.93	1051.58	235.44	6884.92
21	तेलंगाना	1008.67	842.93	700.06	483.47	120.00	3136.23
22	उत्तर प्रदेश	363.76	826.94	662.35	515.45	131.59	3145.00
23	उत्तराखंड		263.44	176.21	154.48	39.34	997.23
24	पश्चिम बंगाल	757.04	590.65	483.06	359.52	97.10	2287.37
कुल		**19489.58**	**15160.38**	**12195.65**	**9242.22**	**2237.78**	**58325.61**

अनुबंध-II

"ईपीएस में पंजीकृत लोग" के संबंध में दिनांक 11.8.2021 को श्री प्रताप सिंह बाजवा, माननीय सांसद द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2660 के भाग (ख) के उत्तर में सदंर्भित अनुबंध।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 (जून, 2021 तक) के दौरान ईपीएस के अंतर्गत उन व्यक्तियों को, जिन्हें आधार से संबद्ध जीवन प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है, की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण (हजार में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अप्रैल- जून, 2021	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.02	0.03	0.29	1.07	0.08	1.49
2	आंध्र प्रदेश	5.72	10.50	24.44	187.20	9.64	237.50
3	बिहार	1.70	9.05	17.40	92.60	2.76	123.51
4	चंडीगढ़	1.29	2.56	8.47	21.72	0.74	34.78
5	छत्तीसगढ	3.08	3.93	8.65	60.31	1.42	77.39
6	दिल्ली	5.02	7.85	19.31	79.02	3.20	114.40
7	गोवा	0.06	0.86	1.91	10.32	0.50	13.65
8	गुजरात	10.06	14.16	42.22	152.01	6.38	224.83
9	हरियाणा	4.05	6.82	15.87	82.68	4.35	113.77
10	हिमाचल प्रदेश	0.71	1.28	2.93	20.01	1.78	26.71
11	झारखंड	1.03	5.41	11.05	68.45	1.56	87.50
12	कर्नाटक	13.26	21.14	60.20	373.28	11.37	479.25
13	केरल	5.59	11.49	31.88	291.87	6.37	347.20
14	मध्य प्रदेश	5.13	8.30	24.32	102.97	3.84	144.56
15	महाराष्ट्र	20.74	37.85	98.74	729.50	22.51	909.34
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.45	1.06	1.97	9.70	0.57	13.75
17	उड़ीसा	3.83	6.22	17.90	118.36	6.39	152.70
18	पंजाब	2.75	6.24	13.44	57.47	4.50	84.40
19	राजस्थान	3.72	6.41	15.50	104.87	5.47	135.97
20	तमिलनाडु	21.10	29.06	77.37	510.96	21.12	659.61
21	तेलंगाना	11.32	11.91	39.06	244.12	8.75	315.16
22	उत्तर प्रदेश	10.45	20.99	47.76	242.29	8.61	330.10
23	उत्तराखंड	1.02	3.11	6.03	28.51	0.81	39.48
24	पश्चिम बंगाल	11.59	20.25	50.58	365.73	7.20	455.35
	कुल	**143.69**	**246.48**	**637.29**	**3955.02**	**139.92**	**5122.40**

अनुबंध-III

"ईपीएस में पंजीकृत लोग" के संबंध में दिनांक 11.8.2021 को श्री प्रताप सिंह बाजवा, माननीय सांसद द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2660 के भाग (ग) के उत्तर में सदंर्भित अनुबंध।

वर्ष 2017-18 से जून, 2021 तक ईपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य-वार विवरण **(हजार में)**

क्र. सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अप्रैल-जून, 2021)	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2.73	2.88	3.05	2.76	2.22	13.64
2	आंध्र प्रदेश	254.79	260.55	267.51	268.88	249.07	1300.80
3	बिहार	170.27	167.55	171.72	172.69	154.83	837.06
4	चंडीगढ़	39.94	41.83	42.34	43.53	40.24	207.88
5	छत्तीसगढ	80.05	79.75	82.87	85.60	78.35	406.62
6	दिल्ली	126.29	129.13	136.76	139.58	126.03	657.79
7	गोवा	22.98	23.56	23.83	24.12	21.90	116.39
8	गुजरात	378.20	381.72	396.96	407.71	370.54	1935.13
9	हरियाणा	130.43	131.11	136.10	139.56	128.60	665.80
10	हिमाचल प्रदेश	32.10	31.92	33.13	35.42	33.34	165.91
11	झारखंड	134.19	130.29	133.28	134.29	124.56	656.61
12	कर्नाटक	495.27	500.53	517.09	528.46	478.94	2520.29
13	केरल	384.86	392.92	401.99	408.02	381.44	1969.23
14	मध्य प्रदेश	198.38	199.88	203.71	206.18	185.21	993.36
15	महाराष्ट्र	1053.89	1064.10	1097.58	1110.84	1038.18	5364.59
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र	54.76	56.59	57.48	58.51	51.81	279.15
17	उड़ीसा	149.17	151.44	159.17	162.13	147.73	769.64
18	पंजाब	100.90	101.57	104.88	107.27	99.35	513.97
19	राजस्थान	149.33	149.33	156.92	159.76	145.44	760.78
20	तमिलनाडु	703.03	715.12	740.32	755.77	702.14	3616.38
21	तेलंगाना	335.20	341.81	352.80	359.63	335.45	1724.89
22	उत्तर प्रदेश	449.77	449.61	458.35	462.39	422.61	2242.73
23	उत्तराखंड	52.02	54.98	58.13	59.67	54.30	279.10
24	पश्चिम बंगाल	515.19	525.49	552.97	555.13	519.10	2667.88
कुल		**6013.74**	**6083.66**	**6288.94**	**6387.90**	**5891.38**	**30665.62**

अनुबंध-IV

"ईपीएस में पंजीकृत लोग" के संबंध में दिनांक 11.8.2021 को श्री प्रताप सिंह बाजवा, माननीय सांसद द्वारा पूछे जाने वाले राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2660 के भाग (घ) के उत्तर में सदंर्भित अनुबंध।

वर्ष 2021 ,से जून 18-2017तक ईपीएस के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य वार विवरण-

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अप्रैल-जून, 2021)	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4.67	5.01	5.96	5.52	1.22	22.38
2	आंध्र प्रदेश	433.04	485.85	512.94	517.91	128.02	2077.76
3	बिहार	272.15	300.89	304.06	304.82	72.74	1254.66
4	चंडीगढ़	69.30	144.34	109.91	104.04	26.35	453.94
5	छत्तीसगढ	143.60	163.22	170.16	182.82	44.02	703.82
6	दिल्ली	240.90	306.99	306.74	325.10	78.80	1258.53
7	गोवा	37.88	44.04	44.30	49.61	12.31	188.14
8	गुजरात	641.08	679.02	712.93	792.32	195.33	3020.68
9	हरियाणा	226.45	262.47	288.31	285.07	72.21	1134.51
10	हिमाचल प्रदेश	70.11	71.91	70.63	82.39	21.15	316.19
11	झारखंड	240.34	244.04	250.40	268.33	65.33	1068.44
12	कर्नाटक	766.25	837.71	873.46	939.13	219.29	3635.84
13	केरल	657.22	737.26	851.21	941.52	197.20	3384.41
14	मध्य प्रदेश	301.98	389.50	350.27	367.71	86.72	1496.18
15	महाराष्ट्र	1799.05	1891.36	2010.84	2108.31	526.60	8336.16
16	पूर्वोत्तर क्षेत्र	119.52	130.31	133.53	143.98	36.69	564.03
17	उड़ीसा	265.39	300.71	343.20	333.92	83.11	1326.33
18	पंजाब	163.06	243.18	237.24	229.26	58.32	931.06
19	राजस्थान	225.64	302.51	306.80	319.12	78.47	1232.54
20	तमिलनाडु	1032.19	1129.86	1182.53	1280.31	310.67	4935.56
21	तेलंगाना	478.23	563.22	558.24	592.46	143.76	2335.91
22	उत्तर प्रदेश	769.15	804.21	827.79	875.33	213.35	3489.83
23	उत्तराखंड	96.30	112.65	113.74	123.69	30.60	476.98
24	पश्चिम बंगाल	919.28	920.62	994.42	999.88	247.83	4082.03
	कुल	**9972.78**	**11070.88**	**11559.61**	**12172.55**	**2950.09**	**47725.91**

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2663

बुधवार, 11 अगस्त, 2021 / 20 श्रावण, 1943 (शक)

राज्यों द्वारा श्रम कानूनों का निलम्बन

2663. श्री संजय सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों के दौरान कुछ राज्यों द्वारा श्रम कानूनों को अस्थायी रूप से निलम्बित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों ने किन कारणों से यह कदम उठाया है;

(ग) श्रम कानूनों के निलम्बन से अब तक उद्योगों और कर्मचारियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा हैं; और

(घ) क्या इन श्रम कानूनों के निलम्बन के विरूद्ध जनता द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): 'श्रम' संबंधी विषय भारत के संविधान की समवर्ती सूची में विद्यमान है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें दोनों केंद्र के लिए आरक्षित किए गए कतिपय मामलों के अध्यधीन कानून अधिनियमित करने हेतु सक्षम हैं। राज्य सरकारों को संसद द्वारा अधिनियमित विद्यमान केन्द्रीय श्रम कानूनों में किसी प्रकार के बदलाव हेतु प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजना अपेक्षित है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने गत दो वर्षों के दौरान किसी भी केन्द्रीय श्रम कानून के निलंबन को सहमति नहीं दी है।

(ख) से (घ): उपरोक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

******

भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2679

बुधवार, 11 अगस्त, 2021 / 20 श्रावण, 1943 (शक)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में अदावित धनराशि

2679. श्री के. आर. सुरेश रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी संगठनों से सेवानिवृत हुए अधिकांश कर्मचारी ईपीएफ-95 योजना के अंतर्गत प्रतिमाह लगभग 1,000 रूपये से 1,500 रूपये पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ईपीएफओ में कितनी अदावित राशि है और सरकार इस अदावित राशि का उपयोग किस प्रकार करने की योजना बना रही है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ख): कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 एक 'परिभाषित अंशदान - परिभाषित लाभ' सामाजिक सुरक्षा योजना है। ईपीएस के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने के लिए एक साझा खाता है जिसमें (i) नियोजक द्वारा मजदूरी की 8.33 प्रतिशत दर पर अंशदान तथा (ii) मजदूरी की 1.16 प्रतिशत दर पर 15,000/- रुपये प्रतिमाह की राशि तक, बजटीय सहायता के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अंशदान। ईपीएस के अंतर्गत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार सेवा की पेंशन-योग्य अवधि और पेंशन-योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए किया जाता है:

$$\frac{\text{पेंशन-योग्य सेवा} \times \text{पेंशन-योग्य वेतन}}{70}$$

तथापि, सरकार ने पहली बार अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करते हुए दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के अंतर्गत पेंशनधारकों को 1000 रुपये प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की।

(ग): कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, 1952 की धारा 72(6) के अनुसार, कतिपय खातों को 'निष्क्रिय खातों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा ऐसे खातों के निश्चित दावेदार होते हैं। दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, इन निष्क्रिय खातों में 3930.85 करोड़ रुपये की राशि (गैर-लेखापरीक्षित) पड़ी थी।

****